



दिनांक १ ४ २  
 वर्ष १९९६  
 साक्षर पटेल  
 सचिवी का कार्यालय  
 १४ APR 1996  
 M  
 मुद्रांक विवेक


सखी प्रत

DEED OF GIFT

  
 सचिवी प्रत

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS that OM  
 PRAKASH CHAUDHRI s/o. SHRI DEVI DAYAL  
 CHAUDHRI R/o. 86/93, Kurmetola Maqboolganj,  
 Lucknow, U.P. (hereinafter called the Donor AND  
 SARDAR PATEL SHIKSHAN SAMITI, Lucknow, Reg.  
 No. 1087/95/96, Reg. Office 86/93, Kurmi Tola  
 Maqboolganj, Lucknow (U.P.) (hereinafter called  
 the Donee.

WHEREAS the said Donor is the absolute owners  
 and in possession of the Aenitrcal land Kharea



शिली नं. 3  
धर्मिक  
संस्था के लिये  
दिनांक  
संबंधी धी धीम  
Sardar Patel  
Samiti, Pr...


2 APR 1996

सुभाष चिह्न

2.

No. 545, 546, 548, 549, 551, 557 and 558 premises property described hereinafter fully mentioed and described in the Schedule hereto situated in UTARATHIA BAZAR, Lucknow, . As the Donor is a absolute owner of the property mentioned at the foot of this deed, and the donee need such property for the same. Therefore decided with my free will to make Gift though the present Gift Deed the sforesaid property to the Donee.

*[Handwritten signature]*




3.

AND WHEREAS the said Sardar Patel Shikshan Samiti, Lucknow is active for social work. The said Donors have great affections for the said Donee and is desirous out of such natural affection of disposing of the said properties in the manner hereinafter appearing. AND the Donors have every rights to execute this Deed of Gift.

NOW THIS DEED OF GIFT WITNESSES:

That in pursuance of the said intention and the consideration of the natural affection, which the said donors have for the said donee. The said donor's out of his free will, without fraud, coercion or undue influence from any body whomsoever and in full possession of his senses does hereby give convey grant, transfer and confirm unto the said Donee all of the said land



4

TO HAVE AND TO HOLD the said land hereby gifted unto and to the use of the said Donee for ever and absolutely.

AND THAT the said Donee shall and may from time to time and at all times hereafter peaceably and quietly enter upon, have hold occupy passes and enjoy the property hereby



*OP Chaudhary*

✓

*[Handwritten signature]*

gifted and receive and take the profit thereof and of every part thereof, without any let or hindrance whatsoever from or by or persons claiming from under or in trust of him. The Donors are hereby transfer (through this deed) the rights title and possession to the donee, who became the absolute owner of the such property, wich comes the total value of Rs. 50,000/-.

AND , in such circumstances the value. Thus the stamp duty is hereby paid on the 50,000/- . The aforesaid value is not exceeding Rs. 5,00,000/- and thing income tax, clearance certificate is not required to filed.

DESCRIPTION OF THE PROPERTY

Plot No. 545, 546, 548, 549, 551, 557 and 558  
UTARATHIA pergana, Bijnour, Teh. and District  
Lucknow.

IN WITNESS WHEREOF the Donors have signed the Deed with free will in presence of the witness on the day 2nd April, 1996 at Bombay.

DONORS

*OP Chaudhary*

WITNESSES:

1. *दादाजी*  
Dadaji Gama.  
Main Kestuba Rd.  
Bhoirali (E) Mumbai 400066

*[Signature]*



बागरी ग्रामीन पंचाल मर्गादा कायदा १९७६  
कायदा २७ कायदा २००२ कायदा २००२  
कायदा २००२ कायदा २००२ कायदा २००२  
कायदा २००२ कायदा २००२ कायदा २००२

दि. २-४-८६

*[Handwritten signature]*



आर-३ खख २९/८६

दि. २-४-८६

*[Handwritten signature]*

अधिकारी कायदा २००२ कायदा २००२  
निबंधकायदा २००२ कायदा २००२

नकल सानु पोने  
रुजवात धेतली



खरी प्रत

*[Handwritten signature]*  
अधिकारी कायदा २००२ कायदा २००२

*[Handwritten signature]*  
१६/०२/९८

भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपये  
रु. 10



TEN  
RUPEES  
Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

132 / 29/2005 25AD 284899

नकल आदेश दिनांक 29/09/2005 द्वारा पारित अपिठकधिकारी अदर  
लखनऊ अपर काय संख्या 29/05/05 द्वारा 143 2005 Act द्वारा पठेद विज्ञाप  
पारिधि वगैरे 2000 संख्या, अति-इतर विभा, परगना विभागाए 20 नमिना लखनऊ

अत्याधिकार वाच्यता संलग्न है।



(राम कुमार मौर्य)  
अभिसेखपाल  
न्यायालय अपिठकधिकारी / न्यायिक  
घर, लखनऊ

सत्य प्रतिनिधि

न्यायालय अपिठकधिकारी / न्यायिक घर, लखनऊ

132  
25/7/05

न्यायालय उप जिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर(प्रोश्रेड), सदर, लखनऊ।

वाद सं० - 291/05 06  
सरदार पटेल शिक्षण समिति बनाम उ०प्र० सरकार।  
घारा-143 जेड०ए०एल०आर०एक्ट  
ग्राम-उतरठिया, परगना-बिजनौर  
तहसील- सदर, जिला-लखनऊ।

निर्णय

प्रस्तुत वाद कार्यवाही सरदार पटेल शिक्षण समिति (रजिस्टर्ड) पता 88/93, कुर्मी टोला, मकबूल गंज, लखनऊ द्वारा सचिव डा० स्नेहलता सिंह, पत्नी अनुसाग सिंह निवासी 14, सरदार पटेल मार्ग, कैंटोनमेंट, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत घारा 143 जेड०ए०एल०आर०एक्ट के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में यह अभिलिखित है कि प्रार्थी खसरा संख्या 568 रकबा 0.4930 हे० खसरा संख्या 565 रकबा 0.117 हे० खसरा संख्या 566 रकबा 0.114 हे० खसरा संख्या 567 रकबा 0.101 हे०, खसरा संख्या 557 रकबा 0.240 हे० व खसरा संख्या 558 रकबा 0.6830 हे० स्थित ग्राम उतरठिया का संक्रमणीय भूमिधर है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। प्रार्थी के भूमि के आस-पास की भूमि पर आवासीय विकास भी सरकारी विभागों द्वारा किया जा रहा है। प्रार्थी की उपरोक्त भूमि संख्याओं को सरकार द्वारा अधिग्रहीत भी नहीं किया गया है। प्रार्थी ने चारों ओर से बाउन्ड्रीवाल करवा रखा है। प्रार्थी संस्था सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़ वर्ग के लोगों के उत्थान हेतु शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन एवं शिक्षार्थियों के आवास हेतु हॉस्टल आदि का निर्माण आदि का कार्य कराने हेतु उपरोक्त भूमि पर विकास कार्य कर रही है। अन्त में प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आकृषिक घोषित करने की याचना की गई।

उक्त प्रार्थना-पत्र पर तहसीलदार सदर, लखनऊ से आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार, सदर, लखनऊ ने अपनी आख्या दिनांक 22.08.2005 में यह कहा है कि ग्राम उतरठिया की गाटा संख्या 568, 565, 566, 567, 557 व 558 कुल रकबा 1.748 हे० प्रार्थी के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। उक्त भूमि पर बाउन्ड्रीवाल बनी है, एक भवन निर्माणाधीन है, कृषि कार्य नहीं होता है। भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की नहीं है। लखनऊ महानगर योजना 2021 में भूमि का नू-उपयोग आवासीय दर्ज है। नियम 135(6) के अनुसार नियमानुसार बुल्क जमा कर का निर्मित क्षेत्रफल की पैमाइश की गई है। राजस्व निरीक्षक की आख्या दिनांक 24.09.2005 से यह भी स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि अयंटन की नहीं है और न ही प्रश्नगत भूमि किसी योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है। नैर कृषिक-प्रयोजन घोषित करने हेतु आख्या सम्प्रेषित है।

  
राम कुमार भोज  
अभिलेखपाल  
कार्यालय उप जिलाधिकारी/सहायक  
लखनऊ

सत्य प्रतिनिधि

  
उपर जिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर, लखनऊ



वाद दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नोटिस जारी की गयी, जो वाद तामील पत्रावली पर संलग्न है। किसी प्रकार की कोई आपत्ति पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं है।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों/साक्ष्यों एवं तहसीलदार सदर की आख्या का विधिवत अवलोकन व परिशीलन किया गया और प्रार्थी की मौखिक बहस को विस्तारपूर्वक सुना गया। प्रार्थी द्वारा वादीय भूमि पर हुये निर्माण का छाया चित्र भी पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि पर कृषि कार्य वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा है, बल्कि प्रश्नगत भूमि का उपयोग अकृषिक रूप में किया जा रहा है। ऐसी दशा में मौके पर भूमि का उपयोग गैरकृषिक होने के कारण उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है।

#### आदेश

अतः प्रश्नगत भूमि के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त तहसीलदार, सदर की आख्या दिनांक 22.08.2005 की पुष्टि की जाती है। ग्राम औरंगाबाद खालसा, प्रग्ना तहसील व जिला लखनऊ की गाटा संख्या 568 रकबा 0.4930 हे०, गाटा संख्या 565 रकबा 0.117 हे०, गाटा संख्या 566 रकबा 0.114 हे०, गाटा संख्या 567 रकबा 0.101 हे०, गाटा संख्या 557 रकबा 0.240 हे० व गाटा संख्या 558 रकबा 0.6830 हे०, को कृषि प्रयोजन से निम्न प्रयोजन की भूमि (अकृषिक) घोषित किया जाता है। अभिलेखों में अमल-दरामद हेतु आदेश की एक प्रति तहसीलदार सदर, लखनऊ को व आदेश की एक प्रति उप निबन्धक, लखनऊ को भेजी जाए। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(महेन्द्र सिंह)

उप जिलाधिकारी/सहायक लेक्टर (प्र०श्रे०)  
सदर, लखनऊ

उपरोक्त आदेश आज दिनांक 25/09/2005 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं खुले न्यायालय उद्घोषित किया गया।

सत्य प्रतिलिपि

25/9/05

सहायक जिलाधिकारी/सहायक लेक्टर (प्र०श्रे०)


(राम कुमार मोदी)

सहायक जिलाधिकारी/सहायक लेक्टर (प्र०श्रे०)

सहायक जिलाधिकारी/सहायक लेक्टर (प्र०श्रे०)  
सदर, लखनऊ







शिल्लिती नं. 3  
धर्मांक 23  
महाराष्ट्र राज्य सरकार  
लुका

2 APR 1996


सपेधी धी धीम. Sardar Patel  
Samiti

मुद्रांक विभाग

2.

No. 545, 546, 548, 549, 551, 557 and 558 premises property described hereinafter fully mentioed and described in the Schedule hereto situated in UTARATHIA BAZAR, Lucknow, . As the Donor is e absolute owner of the property mentioned at the foot of this deed, and the donee need such property for the same. Therefore decided with my free will to make Gift though the present Gift Deed the aforesaid property to the Donee.

Signature OP Chaudhary




3.

AND WHEREAS the said Sardar Patel Shikshan Samiti, Lucknow is active for social work. The said Donors have great affections for the said Donee and is desirous out of such natural affection of disposing of the said properties in the manner hereinafter appearing. AND the Donors have every rights to execute this Deed of Gift.

NOW THIS DEED OF GIFT WITNESSES:

That in pursuance of the said intention and the consideration of the natural affection, which the said donors have for the said donee. The said donor's out of his free will, without fraud, coercion or undue influence from any body whomsoever and in full possession of his senses does hereby give convey grant, transfer and confirm unto the said Donee all of the said land



4

TO HAVE AND TO HOLD the said land hereby gifted unto and to the use of the said Donee for ever and absolutely.

AND THAT the said Donee shall and may from time to time and at all times hereafter peaceably and quietly enter upon, have hold occupy passes and enjoy the property hereby



*OPCHAUDHARY*

*W*

gifted and receive and take the profit thereof and of every part thereof, without any let or hindrance whatsoever from or by or persons claiming from under or in trust of him. The Donors are hereby transfer (through this deed) the rights title and possession to the donee, who became the absolute owner of the such property, wich comes the total value of Rs. 50,000/-.

AND , in such circumstances the value. Thus the stamp duty is hereby paid on the 50,000/- . The aforesaid value is not exceeding Rs. 5,00,000/- and thing income tax, clearance certificate is not required to filed.

DESCRIPTION OF THE PROPERTY

Plot No. 545, 546, 548, 549, 551, 557 and 558  
UTARATHIA pergana, Bijnour, Teh. and District  
Lucknow.

IN WITNESS WHEREOF the Donors have signed the Deed with free will in presence of the witness on the day 2nd April, 1996 at Bombay.

DONORS

*OP Chandray*

WITNESSES:

1. *दादाजी*  
Dadaji Gama.  
Main Kestuba Rd.  
Bhoirali (E) Mumbai 400066

*[Signature]*

सं १९८६ दि ३१/१२ महिला  
६ अंक १२  
१. २७/१२/८७ गत दुर्घटना मरण  
दुर्घटने में आयातपत्र हजर केला.

मौदणी	२०००-००
शं	५०-००
नकद (कॉन्ट्रिब्यूशन)	१५-००
इजवान	२-००
फाईलींग	३०-००
घाट	३३-००

एकूण २९३०-००

X Shauhan  
C/A Smt Maltidevi  
and others.

दुग्ध निबंधक, मुंबई

दुग्ध निबंधक, मुंबई.  
कपिलानी सुगावणी कारणाबेटी  
विबंधनाथ एवं अ.पि.नर असोसि.

- श्रीमती मालती देवी S/O श्री रामाश्रीन सिंग
- श्री. लोचननाथ सिंग S/O श्री. फुलचंद (3) श्री. अशोककुमार S/O श्री. उमाशंकर शं. २६/६३
- श्रीमती शोभा भक्तवत गज करवनी (४) श्री. चंद्र-प्रकाश S/O श्री. ग्यानप्रलाप शं. चण्डीनी करवनी नं. १८४ गान्धे मुरवत्यार मिस स्नेहलता S/O श्री. लल. जन. चौधरी वयं. २९
- शं. विद्याश्री शं. २६/६३ श्रीमती शोभा भक्तवत गज करवनी



एकपेज करन देणां  
घ्याकयिन खरेदीरवत एकेके  
अस दिग्घां वडल करताव.

- श्री राजेशकुमार पांडे S/O जम. जन. पांडे व्यवसाय शं. चिनहट करवनी
- श्री. मोहमद जमा वकील शं. ५८



ह दोघे वरील वस्तुएवज करुन देणाकार अं.लखत असत्याचे मांगतात व खरे प्रवृत्त देतात.

दुग्ध निबंधक, मुंबई  
दुग्ध निबंधक, मुंबई

बागरी कमीन पत्तल मर्गादा कापदा १९७१  
कादत २० कायदे मर्गादाये जेवजमिनीये  
खवजवन म मर्गादे चिः वस्त्रेयज  
मोंद मोंद मर्गादेला.

दि. २-४-८६ मर्गादा विजंयक, मुंबई.

आर-३ खख २९६/८६  
मर्गादे कर्माक १ मर्गादा. ५४

मर्गादे २-४-९६

मर्गादाये मर्गादे मर्गादाये मर्गादाये  
मर्गादाये मर्गादाये मर्गादाये मर्गादाये

नकल सातु पातु  
रुजवात घेतली.

खरी प्रत

मर्गादाये मर्गादाये मर्गादाये

१६/०२/९८

